महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 48वीं बैठक
कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 48वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 को प्रातः 11:30 बजे बृहस्पति भवन स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1.	प्रो. के.के. शर्मा, कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ।	अध्यक्ष
2.	प्रो. एस. पालरिया, संकायाध्यक्ष, कॉलेज एवं विभागाध्यक्ष, रिमोट सेंसिंग एण्ड जियोइन्फोरमेटिक्स विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
3.	प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, विभागाध्यक्ष–जनसंख्या अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
4.	प्रो. मनोज कुमार, संकायाध्यक्ष–प्रबन्ध अध्ययन संकाय एवं विभागाध्यक्ष–प्रबन्ध अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
5.	प्रो. जी.के.कोहली, संकायाध्यक्ष–स्नातकोत्तर अध्ययन एवं विभागाध्यक्ष–खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
6.	प्रो. बी.पी. सारस्वत, संकायाध्यक्ष–वाणिज्य संकाय एवं विभागाध्यक्ष–वाणिज्य विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
7.	डॉ. शिव दयाल सिंह संकायाध्यक्ष–छात्र कल्याण, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
8.	श्री आर.के. व्यास, अतिरिक्त कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार) कार्यवाहक कुलसचिव	सदस्य सचिव

निम्नलिखित सदस्य अनुपस्थित रहेः–

9.	प्रो. एस.एन. सिंह, विभागाध्यक्ष, राजनीति शास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय,अजमेर ।	सदस्य
10.	प्रो. वी. के. ककड़िया, प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर ।	सदस्य
11.	प्रो0 पी.एस. वर्मा, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।	सदस्य
12.	आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ।	सदस्य
13.	प्रो. एम.एल. वडेरा, वाणिज्य विभाग (Deptt. of Accounting) जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।	सदस्य
14.	प्रो. के. सक्सैना, प्रबन्ध अध्ययन विभाग, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।	सदस्य
15.	श्री ई.आर.जे. ऑबर्ट, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
16.	मोहम्मद यूनुस मुल्तानी, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मेड़ता सिटी (नागौर)	सदस्य
17.	श्रीमती दमयन्ती गुप्ता, संकायाध्यक्ष–समाज विज्ञान, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।	सदस्य

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया । इसके पश्चात् विद्या परिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया । तत्पश्चात कार्यसूची पर विचार–विमर्श आरम्भ हुआ एवं निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

मद	विवरण	अनुभाग / विभाग
मद सं. 1	विद्या परिषद् की दिनांक 28.06.13 को सम्पन्न हुई 47वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (47) शैक्षणिक–I / मदसविवि / 2013 / 27794–809 दिनांक 24.08.2013 को प्रेषित की गई ।	**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**विद्या परिषद् की दिनांक 28.06.13 को सम्पन्न हुई 47वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।**	
मद सं 2	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि करना :**	
	(1) प्रतिवेदित है कि राज्य सरकार द्वारा सत्र 2013–2014 में राजकीय नवीन महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त अर्द्ध–शासकीय पत्रांकः 1572 दिनांक 27.08.2013 एवं 1619 दिनांक 2.09.2013 के द्वारा बिना विलम्ब शुल्क आवेदन स्वीकार किये जाने बाबत् सूचित किया गया था। विश्वविद्यालय में सम्बद्धता शुल्क एवं तीन गुणा विलम्ब शुल्क व निरीक्षण शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा सत्र 2013–2014 में नवीन राजकीय महाविद्यालय उक्त तिथि के पश्चात् खोले जाने की घोषणा के अंतर्गत राज्य सरकार के आदेशों की पालना में नवीन राजकीय महाविद्यालयों को नवीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाना अनिवार्य है। अतः बीएड महाविद्यालयों हेतु आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक सम्बद्धता शुल्क, 06 गुणा विलम्ब शुल्क मय निरीक्षण शुल्क निर्धारित है। इसी आधार पर **माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 22.10.2013** की पालना में सत्र 2013–2014 हेतु नवीन राजकीय महाविद्यालयों हेतु सम्बद्धता शुल्क, 06 गुणा विलम्ब शुल्क मय निरीक्षण शुल्क व निर्धारित प्रपत्र में आवेदन की अंतिम तिथि (दीपावली अवकाश दिनांक 25.10.2013 से 5.11.2013 तक होने के आधार पर) 31 अक्टूबर, 2013 के स्थान पर दिनांक 15.11.2013 निर्धारित की जाकर नवीन राजकीय महाविद्यालयों को सूचित किया गया।	**शैक्षणिक–II**

इसके उपरांत कतिपय नवीन राजकीय महाविद्यालयों द्वारा अपरिहार्य कारणों से निर्धारित तिथि तक आवेदन मय निर्धारित सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय में जमा नहीं कराया जाने के कारण **माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 4.12.2013** की पालना में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन मय निर्धारित सम्बद्धता शुल्क जमा कराये जाने की अंतिम तिथि 15.11.2013 में वृद्धि करते हुए दिनांक 20.12.2013 निर्धारित की जाकर सम्बन्धित नवीन राजकीय महाविद्यालयों को सूचित किया गया।

अतः माननीय कुलपति महोदय के उपरोक्त आदेश विद्या परिषद के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय **पुष्टि की गयी ।**

(2) प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय में "डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी" की उपाधि के लिए पंजीकृत शोधार्थी की मौखिक परीक्षा के प्रतिवेदन का अनुमोदन कुलपति महोदय द्वारा किये जाने के उपरान्त संबंधित शोधार्थी का देय "अस्थाई प्रमाण–पत्र" में शोधार्थी के **संबंधित विषय** के उल्लेख के स्थान पर "डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी" की उपाधि के समान ही **संबंधित संकाय** का उल्लेख किये जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 23.10.2013 अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । इस संबंध में जारी कार्यालय आदेश संलग्न है **(कार्य सूची का परिशिष्ठ–1)** **शोध विभाग**

निर्णय **पुष्टि की गयी एवं उपाधि में शोधार्थी के स्नातकोत्तर विषय का संकाय अंकित किये जाने का निर्णय लिया गया । शोध प्रकरणों के निस्तारण में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण की दृष्टि से आवश्यक संशोधनों के सम्बन्ध में सुझाव हेतु निम्नानुसार समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया –**

1. **समस्त संकाय अध्यक्ष**
2. **अधिष्ठाता स्नातकोत्तर अध्ययन**
3. **अधिष्ठाता महाविद्यालय**
4. **निदेशक (शोध) सदस्य सचिव**

वरिष्ठतम संकाय अध्यक्ष/अधिष्ठाता समिति के संयोजक होंगे ।

(3) <u>प्रतिवेदन है कि</u> शिक्षा अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 23.08.2013 के कार्यवृत्त पर माननीय कुलपति महोदय किये गये अनुमोदन की पुष्टि करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–4)** **शैक्षणिक–I**

निर्णय **पुष्टि की गयी ।**

मद सं. 3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक F 87-1/2012 (SU-I) **(परिशिष्ठ–2)** के संदर्भ में विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में B.Voc Programme अगले शैक्षणिक सत्र से आरम्भ किये जाने पर विचार कर निर्णय करना । **शैक्षणिक–I**

निर्णय	**पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया–** **1. प्रो. मनोज कुमार, संयोजक** **2. प्रो. सर्वेश पालरिया, अधिष्ठाता महाविद्यालय** **3. प्रो. जी.के. कलसी** **4. उप कुलसचिव (शैक्ष–प्रथम) सदस्य–सचिव**	
मद सं. 4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक F 6-4/2013 (SCT) दिनांक 29 अगस्त, 2013 **(परिशिष्ठ–3)** के क्रम में Disability Studies के लिए विभाग स्थापना पर विचार कर निर्णय करना ।	**शैक्षणिक–I**
निर्णय	**विश्वविद्यालय में Disability Studies विभाग की स्थापना को सिद्धान्तः स्वीकार किया गया एवं वर्तमान में शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में विश्वविद्यालय में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध होने पर विभाग की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 5	केरियर एडवांसमैण्ट स्कीम (CAS) के तहत निम्न विषयों के शिक्षकों एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की पदोन्नति हेतु विषय–विशेषज्ञों के मनोनयन हेतु विद्या परिषद् द्वारा विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार कराकर अनुशंषा हेतु मद प्रस्तावित है ।	**संस्थापन**

1	विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र	सह आचार्य से आचार्य
2	पर्यावरण विज्ञान	सह आचार्य से आचार्य
3	अर्थशास्त्र	सह आचार्य से आचार्य
4	खाद्य विज्ञान एवं पोषण	सह आचार्य से आचार्य
5	प्रबन्ध अध्ययन	सहायक आचार्य से सह आचार्य एवं सह–आचार्य से आचार्य
6	सूक्ष्म जीव विज्ञान	सह–आचार्य से आचार्य
7	प्राणीशास्त्र	आचार्य से एच.ए.जी.
8	राजनीति विज्ञान	आचार्य से एच.ए.जी.
9	कम्प्यूटर विज्ञान	सह–आचार्य से आचार्य
10	पुस्तकालय विज्ञान	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालयाध्यक्ष

निर्णय	**विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने हेतु जिन विभागों में प्रोफेसर विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं वहाँ विभागाध्यक्षों से पैनल तैयार कराने एवं जिन विभागों में प्रोफेसर विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत नहीं हैं उनमें संकायाध्यक्षों से पैनल तैयार करवाने का निर्णय लिया गया । प्राणीशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभागों के लिये अधिष्ठाता स्नातकोत्तर अध्ययन प्रो. सर्वेश पालरिया ने अपनी विमति दर्ज करवाते हुये अपना मत व्यक्त किया कि जिन विभागों में प्रोफेसर नियुक्त है वहाँ प्रोफेसर से ही विषय विशेषज्ञों से ही पैनल तैयार करवाया जाये ।**	
मद सं. 6	To Consider that Meeting of Board of Studies for revision, corrections and updation of syllabus in all subjects should be compulsorily held every year between 1st August of 30th September.	**शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग**

निर्णय **अध्ययन बोर्ड की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए प्रतिवर्ष 1 अगस्त से 30 सितम्बर के मध्य आगामी सत्र के पाठ्यक्रमों में समीक्षा, संशोधन एवं अद्यतन करने का निर्णय लिया गया ।**

मद सं. 7 प्रबन्ध बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं में प्रदत्त शिथिलता सत्र 2010–2011 हेतु मान्य होने एवं सत्र 2011–2012 में भी कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों हेतु योग्यताधारी शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों के शिक्षकों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं में शिथिलता प्रदान करने एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा निर्धारित योग्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2011–2012 के लिये कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों हेतु निम्नानुसार योग्यतायें निर्धारित किये जाने की अनुशंसा की गई : **शैक्षणिक–II**

1. Post-graduate degree in Computer Science/MCA or related (Information Technology) with NET (as per UGC norms)

OR

2. M.E./M.Tech. in Computer Science (AICTE)

OR

3. MCA in Computer Science with minimum 60% marks aggregate (AICTE)

OR

4. Ph.D./M.Phil. in Computer Science

OR

5. *M.Sc. Computer Science/Information Technology with minimum 60% marks aggregate

*Applicable only for under-graduate BCA/B.Sc. (IT/CS)/Vocational Courses/PGDCA and Computer Science/Computer Application papers in other degrees in Humanities and Sciences.

उपरोक्त अनुशंसाओं को प्रबन्ध बोर्ड की 79वीं बैठक दिनांक 3.12.2012 के निर्णय सं. 10 में सत्र 2011–2012 व 2012–2013 हेतु विश्वविद्यालय से सम्बन्ध महाविद्यालयों में संचालित कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अखिल भारतीय तकनिकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा निर्धारित योग्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षकों की निर्धारित योग्यताओं में शिथिलता प्रदान की गई। इस सम्बन्ध में समस्त महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय पत्रांकः 4971–5090 दिनांक 8.02.2013 के द्वारा सूचित किया गया है।

इसके अतिरिक्त लेख है कि UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010 आदेशानुसार समस्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में उक्त नियम एवं निर्धारित योग्यतायें लागू किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय पत्रांकः 15798–16047 दिनांक 9.05.2013 जारी किया जा चुका है। उक्त प्रावधानानुसार समस्त पाठ्यक्रमों में

नेट / स्लेट एवं रेट से उत्तीर्ण उपाधि धारक को व्याख्याता पद हेतु योग्यताधारी माना गया है।

अतः सत्र 2013–2014 हेतु कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों हेतु यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता नेट / स्लेट उत्तीर्ण लागू किये जाने अथवा नेट / स्लेट उत्तीर्ण शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2011–2012 एवं 2012–2013 की भांति सत्र 2013–2014 हेतु भी कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की योग्यताओं में पूर्व की भांति शिथलता प्रदान किये जाने हेतु मद विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय **सत्र 2013–14 के लिये कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व सत्रों की भांति योग्यताओं में यथावत शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।**

मद सं. 8 समकक्षता समिति की दिनांक 19.12.2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) पर विचार कर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–5)**

निणर्य **समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 19.12.2013 की अनुशंषाओं पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया गया ।** **शैक्षणिक–I**

मद सं. 9 **माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से निम्न प्रकरणों पर विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये–**

1. **संबंधित विभागों के द्वारा बी.टेक / एम.टेक पाठ्यक्रमों हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के निर्धारित मानदण्डानुसार आधारभूत सुविधाओं का उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही उक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की कार्यवाही की जाये ।**
2. **माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार प्रो. जी.के. कलसी की अधिष्ठाता स्नातकोत्तर अध्ययन के रूप में एवं प्रो. सर्वेश पालरिया की अधिष्ठाता, महाविद्यालय के रूप में एक वर्ष अथवा आगामी आदेश तक की गई नियुक्तियों की पुष्टि की गई ।**

अन्त में माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई ।

कुलपति **कुलसचिव**